(2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 225/2025

दायर दिनांकः 09.10.2025

उनवान

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड

प्रार्थी

बनाम

1. शादीलाल पि. कन्हीराम जाति धाकड नि. कादर नगर तहसील सुनेल

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–

प्रार्थी :– पैरोकार सरकार

अप्राथी :– एकतरफा

आदेश दिनांक :10 .11.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि ग्राम कादर नगर तहसील सुनेल जिला झालावाड की आराजी खसरा नं. 478 रकबा 0.0126 है. गैर मुमकिन चाह प्रतिवादी के खाते दर्ज है जिसे आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। नवीनतम नकल जमाबन्दी संलग्न है। यह कि मुताबिक राजस्व रेकार्ड खसरा नं. 478 रकबा 0.0126 हेक्टर किस्म गै.मु. झादा दर्ज है। यह कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी वादग्रस्त आराजी को सिचाई प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुयें खोदने एंव पम्प लगाने के लिये भूमि आंवटन) नियम 1979 के नियम 12 (क) नियमितिकरण के अनुसार चरागाह भूमि में बनाये गये झादा का राजस्व शिविर के दौरान श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महो. पिडावा द्वारा आदेश दिनांक 14.02.2002 द्वारा किया गया है। यह कि उक्त नियमन आदेश में प्रतिवादी को गैर खातेदार ... के आदेश होने से बाद चाह नियमन नामान्तरण संख्या 390 दिनांक 2... 2002 से प्रतिवादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया। नकल नामान्तरण ... है। बिन्दु संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:31:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

वर्णित नियमों के प्रावधानों मे गैर खातेदार दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। कुए के नियमन के पश्चात मात्र लीज रेन्ट जमा कराने की शर्त पर लीजधारक दर्ज किया जाना था। यह कि प्रतिवादी द्वारा 10 वर्षों के पश्चात लीज को रिन्यूवल नहीं कराया गया व ना ही नियमित रूप से लीज रेन्ट जमा कराया गया है, न ही लीज रेन्ट की आंक कायमी की गई है। अतः उक्त नियमितिकरण के गलत आदेश व पालना से प्रतिवादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया जो कि विधिविरूद्ध होने से गैर खातेदार के स्थान पर लीज धारक के रूप में दर्ज करने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि पेरा नं. 1 स्वीकार है कि ग्राम कादरनगर तहसील सुनेल जिला झालावाड की आराजी खसरा नं0. 478 रकबा 0.0126 गै.मु. चाह प्रतिवादी के खाते दर्ज है। यह कि पेरा नं. 2 स्वीकार है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा नं. 478 रकबा 0.0126 है. गै.मु.चाह दर्ज है जो कि अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज है। यह कि पेरा नं. 3 स्वीकार है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी वादग्रस्त आराजी को सिंचाई परियोजनार्थ राजस्थान भू-राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुंए खोदने एंव पम्प लगाने के लिए भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 12 (क) नियमतिकरण के अनुसार भूमि मे बनाये गये कुए का राजस्व शिविरों के दौरान श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा द्वारा दिनांक 14.02.2002 को किया गया। रिपोर्ट पटवारी एवं उपखण्ड अधिकारी के आदेश अनुसार किया गया था। जिस पर अप्रार्थी ने झादे कुंए को गहरा कर पक्का कुंआ बनवाया जिसमे अप्रार्थी के 3,00,000/- रूपये अक्षरे तीन लाख रूपये के लगभग खर्च हुये है जिस पर लाईट कनेक्शन हो रखा है तथा इस कुंए से अप्रार्थी की लगभग 30 बीघा आराजी सिंचित होती है तथा अप्रार्थी के पास सिंचाई के लिये इस कुंए के अलावा कोई वैकल्पिक साधन उपलब्ध नहीं [illegible] कि पेरा नं. 4 स्वीकार है कि उक्त नियमन आदेश मे प्रतिवादी को गैर [illegible] दर्ज करने के आदेश होने से वाद चाह नियमन [illegible] 390 दिनांक 28.06.2002 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:31:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(4)

प्रतिवादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया। यह कि पेरा नं. 5 में वर्णित इबारत अस्वीकार है अप्रार्थी के नाम उक्त आराजी गैर खातेदारी में दर्ज की गई है जो नियमानुसार की गई है जो पटवारी रिपोर्ट एंव उपखण्ड अधिकारी महोदय पिड़ावा के आदेश के अनुसार अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गई है जो न्याय सम्मत है व नियमानुसार की गई है। यह कि प्रतिवादी द्वारा 10 वर्ष के पश्चात लीज को रिव्यूअल नहीं कराया गया किन्तु नियमित रूप से लीज रेट जमा कराई जा रही है क्योंकि प्रतिवादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया था जिसके कारण प्रतिवादी को लीज रिव्यूअल कराने की कोई आवश्यकता नही थी तथा तहसील कार्यालय द्वारा अप्रार्थी से जब भी नियमानुसार म से राशि जमा कराने की कही गई है तब अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार राशि आज तक जमा कराता आ रहा है जो कि पटवारी की रिपोर्ट में भी दर्शायी गई है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य होने से खारीज किया जावे।

3. प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में पटवारी हल्का उन्हेल की रिपोर्ट, ग्राम कादर नगर की सं. 2081 की खसरा गिरदावरी, ग्राम कादर नगर का नामा.सं. 390 दिनांक 28.06.2002, जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 241 नकल, सहायक कलक्टर झालावाड के आवंटन आदेश दिनांक 14.06.2002 की छायाप्रति पेश की।

4. प्रार्थी पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित विन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कादर नगर के खाता सं. 241 के ख.नं. 478 रकबा 0.0126 है. गे.मु. झादा अप्रार्थी शादीलाल पि. कन्हीराम धाकड सा.देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है, जो कि गलत है। अप्रार्थी को उक्त वादग्रस्त आराजी सिचाई प्रयोजनार्थ राजस्थान भू राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं ... लगाने के लिये भूमि आंवटन) नियम 1979 के नियम 12 ... सिवायचक / चरागाह भूमि में अतिकमण कर बनाये ... नियमितिकरण कर प्रति वर्ष 24/– की लीज रेन्ट जमा कराने की शर्त पर लीज पर दी गई थी परन्तु

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:31:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी द्वारा 10 वर्षों के पश्चात ना तो उक्त लीज दिनांक 14.06.2002 को रिन्यूवल नहीं कराया गया व ना ही नियमित रूप से लीज रेन्ट जमा कराई है। अतः उक्त नियमितिकरण के गलत आदेश व पालना से प्रतिवादी को लीजधारक दर्ज करने की बजाय गैर खातेदार दर्ज किया गया जो कि विधिविरुद्ध होने से गैर खातेदार के स्थान पर लीज धारक के रूप में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

5. पैरोकार सरकार ने आगे तर्क किया कि अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी द्वारा लीज रेन्ट जमा करवाकर उक्त लीज को दिनांक 14.06.2002 के बाद रिन्यूवल करवाया गया हो।

6. अभिभाषक पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम कादर नगर के खाता सं. 241 के ख.नं. 478 रकबा 0.0126 है. गे.मु. झादा अप्रार्थी शादीलाल पि. कन्हीराम धाकड सा.देह गैर खातेदार में दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार द्वारा पेश ग्राम कादर नगर के नामा.सं. 390 दिनांक 28.06.2002 के अवलोकन से जाहिर है कि नामान्तरण पंजिका के पैरा सं. 14 व 16 में *"आदेश श्रीमान एसीएम सा. झालावाड कमांक... .../दिनांक 14.06.2002, आदेश श्रीमान एन.टी.सा. दिनांक 14.06.2002 की पालना में गे.मु. झादा दर्ज किया गया"* का अंकन है। अतः जाहिर है कि सहायक कलक्टर झालावाड द्वारा सरकारी भूमि ख.नं. 478 किस्म चरागाह में से 0–01 बीघा भूमि पर बने झादा/कुए का आवंटन नियम 1979 के अधीन नियमन किया गया था। सहायक कलक्टर झालावाड के नियमन/आवंटन आदेश दिनांक 14.06.2002 अनुसार सहायक कलक्टर झालावाड द्वारा चरागाह भूमि ख.नं. 478 रकबा 0–01 बीघा पर अप्रार्थी शादीलाल पि. कन्हीराम धाकड द्वारा खोदे गये एवं कृषि भूमि की सिंचाई हेतु उपयोग में लिए जा रहे अतिकमित कुएं को 24/– प्रति वर्ष की लीज रेन्ट जमा कराने पर गैरखातेदार

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:31:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज करने के आदेश दिये गये थे जिसकी पालना में अप्रार्थी द्वारा राशि 2000/– जरिये पी 17 कमांक 61884 से जमा करवाई गई।

7. राजस्थान भू.राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं खोदने एवं पम्प सेट स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन) नियम 1979 के नियम 7 के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि आवंटन/नियमन 8 शर्तो पर किया जाता है। नियम 7 की प्रथम शर्त (i) के अनुसार इस नियम के अधीन भूमि का आवंटन/नियमन लीज पर किया जावेगा और उक्त लीज 10 वर्ष या सिंचाई उद्देश्यों के लिए कुएं या पम्प सेट को उपयोग में लिए जाने का समयावधि में से – जो भी पहले हो– के लिए होगी। अतः उक्त दोनो शर्तो के अनुसार इन नियमों के अधीन भूमि अधिकतम 10 वर्षो के लिए लीज पर लिए जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानो के अधीन आवंटित/नियमित भूमि को खातेदारी या गैरखातेदारी के रूप में दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। उक्त 10 वर्षो की लीज को समाप्त होने पर प्रार्थी या लीजधारक द्वारा इसे सक्षम अधिकारी से अगले 10 वर्षो के लिए नवीनीकरण कराया जा सकता है। नियम 7 के प्रावधान/शर्ते निम्नानुसार है –

Rule 7. Conditions of allotment.- All allotment of land under these rules shall be subject to the following conditions (i) the land shall be given on Lease; (ii) One time lease money, equal to the price at the prevalent rates, recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, or the rates approved by the Inspector General of Stamps under sub-rule (1) or rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, or the rates determined by the State Govemment under sub-rule (2) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, Whichever is Higher, shall be charged. (iii) The lease shall be for a period of ten years, or for so long as the lessee uses the well or pump set for purpose of irrigation, whichever is less, renewable at the end of twenty years for further similar periods. The State Government may terminate the lease earlier than the period of lease when considered necessary, after giving an

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:31:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

opportunity of being heard to the lessee; (iv) the lessee shall have no right to sell, lease or sublet any portion of the land to any person or body of persons without the previous sanction of the Government; (v) the land shall be used only for the purpose for which it has been let out and for such allied purposes as are required for the lifting of water and its supply to the field to be irrigated; (vi) no permanent structure or buildings, except well and pump house shall be erected on the land without the previous sanction of the Government; (vii) The allottee shall have to dig the well or install a pumping set as the case may be within two years of the allotment; (viii) On failure to fulfil any of the terms and conditions of lease, the lease shall be liable to cancellation and the land shall be taken back by the Government and in the event of such resumption, the lessee shall not be entitled to any compensation for any structure etc. that he may have put up.

8. सहायक कलक्टर झालावाड/सक्षम अधिकारी द्वारा भूमि के आवंटन/नियमन के बाद उक्त आवंटन नियमों के नियम सं. 8 के अनुसार आवंटन या नियमन की तारीख से 15 दिन के अंदर Form No. A में जिला कलक्टर/तहसीलदार एवं लीजधारक के मध्य लीज डीड निष्पादित कराना आवश्यक था। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार उभयपक्ष के मध्य आज दिनांक तक ऐसी कोई लीज डीड निष्पादित नहीं होना जाहिर होता है और लीज डीड के अभाव में ऐसे आवंटन/नियमन का नामान्तरण या राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में पेरोकार सरकार द्वारा तत्कालीन तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजी को बिना लीज डीड के और लीज धारक दर्ज करने के बजाय नियम 7 के विरूद्ध टाईपिग त्रुटीवश गैरखातेदार दर्ज करना स्वीकार किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:31:24 IST
Reason: SelfAttested

9. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा सहायक कलक्टर झालावाड के आदेश दिनांक 14.06.2002 को सक्षम न्यायालय में अपील पेश

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(8)

करने का कोई उल्लेख नहीं किया है बल्कि राजस्व रिकार्ड में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा आदेश का अमल दरामद करते समय आवंटी/अतिक्रमी को लीज धारक दर्ज नहीं करके गलत तरीके से गैरखातेदार दर्ज करने की प्रविष्टि को दुरूस्त कराने के लिए यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश किया गया है। धारा 136 एल.आर.एक्ट के अधीन राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के दौरान राजस्व कार्मिको द्वारा लिपीकीय/टाईपिग त्रुटी से दर्ज की गई अशुद्धि को दुरूस्त किये जाने के प्रावधान है।

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम कादर नगर तहसील सुनेल की आराजी खसरा नं. 478 रकबा 0.0126 है. गैर मुमकिन झादा के संबंध में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

11. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम कादर नगर तहसील सुनेल की आराजी खसरा नं. 478 रकबा 0.0126 है. गैर मुमकिन झादा में प्रविष्टि को दुरूस्त कर गैर खातेदार के स्थान पर लीजधारक दर्ज की जावे। लीज अवधि नियमानुसार नवीनीकरण नहीं कराये जाने पर तहसीलदार नियम 7 व 13 के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/11/25

(विनोद कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:31:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner